eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 02, February 2026

आरक्षण नीति और चुनावी राजनीति

डा0 अरविन्द कुमार शुक्ल[1]
[1]एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला स्ना0 महाविद्यालय बिंदकी, फतेहपुर उ0प्र0, भारत

Received: 20 Feb 2026 Accepted & Reviewed: 25 Feb 2026, Published: 28 Feb 2026

Abstract

भारतीय लोकतंत्र की संरचना सामाजिक न्याय, समानता और प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों पर आधारित है। आरक्षण नीति स्वतंत्र भारत की सामाजिक–राजनीतिक व्यवस्था का एक केंद्रीय तत्व रही है, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को सामाजिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक मुख्यधारा में लाना रहा है। समय के साथ आरक्षण नीति केवल सामाजिक न्याय का साधन न रहकर चुनावी राजनीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण भी बन गई। यह शोध–पत्र आरक्षण नीति और चुनावी राजनीति के अंतर्संबंध का विश्लेषण करता है। इसमें आरक्षण के संवैधानिक आधार, ऐतिहासिक विकास, मंडल आयोग के प्रभाव, क्षेत्रीय दलों के उदय, वोट बैंक राजनीति, जातिगत ध्रुवीकरण, तथा हालिया आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण जैसे मुद्दों का आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है। अध्ययन यह दर्शाता है कि आरक्षण नीति ने भारतीय लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व को व्यापक बनाया है, परंतु साथ ही चुनावी राजनीति में जातीय समीकरणों को सुदृढ़ किया है। परिणामस्वरूप, नीति का सामाजिक उद्देश्य कई बार राजनीतिक लाभ की रणनीति में परिवर्तित होता दिखाई देता है।

मुख्य शब्द– आरक्षण नीति, चुनावी राजनीति, सामाजिक न्याय, मंडल आयोग, वोट बैंक, जाति–आधारित राजनीति, OBC, SC,ST, EWS, भारतीय लोकतंत्र

Introduction

भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग है, जिसकी संरचना सामाजिक विविधता, सांस्कृतिक बहुलता और ऐतिहासिक विषमताओं के बीच विकसित हुई है। भारत की सामाजिक संरचना पर सदियों तक जाति व्यवस्था का गहरा प्रभाव रहा, जिसके कारण समाज में व्यापक असमानता, सामाजिक बहिष्करण और अवसरों की विषमता उत्पन्न हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान निर्माताओं ने यह स्वीकार किया कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है; सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना के बिना लोकतंत्र अधूरा रहेगा। इसी पृष्ठभूमि में आरक्षण नीति को एक सकारात्मक भेदभाव के रूप में लागू किया गया, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अवसर प्रदान करना था। भारतीय संविधान के निर्माण में B- R- Ambedkar की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने सामाजिक न्याय को लोकतंत्र का आधार माना और यह तर्क दिया कि समान अवसर प्रदान किए बिना लोकतंत्र केवल औपचारिक व्यवस्था बनकर रह जाएगा। इसी सोच के परिणामस्वरूप संविधान में अनुच्छेद 15(4), 16(4), 330 एवं 332 जैसे प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। आरक्षण की अवधारणा का ऐतिहासिक आधार औपनिवेशिक काल में भी देखा जा सकता है। 1932 के पूना पैक्ट में Mahatma Gandhi और B- R- Ambedkar के बीच हुए समझौते ने पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर आरक्षित सीटों की व्यवस्था को स्वीकार किया, जिसने आगे चलकर स्वतंत्र भारत में राजनीतिक आरक्षण की नींव रखी। स्वतंत्रता के पश्चात आरक्षण नीति का प्रारंभिक उद्देश्य

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 02, February 2026

सामाजिक न्याय और समावेशी विकास था, किंतु समय के साथ यह चुनावी राजनीति का एक केंद्रीय मुद्दा बन गया। विशेष रूप से 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने के बाद भारतीय राजनीति में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला। जाति–आधारित राजनीतिक लामबंदी, क्षेत्रीय दलों का उदय, और वोट बैंक की राजनीति ने आरक्षण को केवल सामाजिक नीति न रहने देकर राजनीतिक रणनीति का प्रमुख साधन बना दिया।

आज के परिप्रेक्ष्य में आरक्षण नीति केवल सामाजिक सुधार का उपकरण नहीं है, बल्कि यह चुनावी घोषणापत्रों, राजनीतिक गठबंधनों और मतदाता ध्रुवीकरण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण घटक बन चुकी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2019 में लागू 10 प्रतिशत आरक्षण ने इस विमर्श को और व्यापक बनाया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आरक्षण नीति और चुनावी राजनीति के बीच गहरा अंतर्संबंध स्थापित हो चुका है। इस शोध–पत्र की प्रस्तावना का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि आरक्षण नीति केवल संवैधानिक प्रावधान नहीं, बल्कि भारतीय लोकतांत्रिक संरचना और चुनावी प्रक्रिया का सक्रिय और गतिशील तत्व है। यह अध्ययन इसी अंतर्संबंध का विश्लेषण करेगा कि किस प्रकार आरक्षण सामाजिक न्याय की अवधारणा से निकलकर चुनावी रणनीति, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सत्ता–समीकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। इस प्रकार, "आरक्षण नीति और चुनावी राजनीति" का अध्ययन भारतीय लोकतंत्र की जटिलताओं, सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। भारतीय समाज की ऐतिहासिक संरचना जाति–आधारित सामाजिक विभाजन पर आधारित रही है, जिसके कारण कुछ वर्गों को सामाजिक प्रतिष्ठा, शिक्षा, भूमि, प्रशासन और सत्ता के अवसरों से वंचित रखा गया। यह असमानता केवल सामाजिक स्तर तक सीमित नहीं थी, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक जीवन में भी गहराई से व्याप्त थी। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध और बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में सामाजिक सुधार आंदोलनों ने इन विषमताओं को चुनौती दी। ज्योतिराव फुले, नारायण गुरु और अन्य समाज सुधारकों ने सामाजिक समानता की मांग उठाई। ब्रिटिश शासनकाल में प्रशासनिक ढांचे में प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर चर्चा प्रारंभ हुई। 1909 के मार्ले–मिंटो सुधारों तथा 1919 के मोंटेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधारों के माध्यम से सीमित राजनीतिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। 1932 का पूना पैक्ट भारतीय आरक्षण व्यवस्था की ऐतिहासिक आधारशिला सिद्ध हुआ। यह समझौता डींजउं ळंदकीप और B- R- Ambedkar के बीच हुआ, जिसमें पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर अनुसूचित जातियों के लिए सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित सीटों की व्यवस्था स्वीकार की गई। इस समझौते ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से सशक्त किया जा सकता है। इस प्रकार औपनिवेशिक काल में ही प्रतिनिधित्व–आधारित सुधारों का बीजारोपण हो चुका था, जो स्वतंत्र भारत में संवैधानिक रूप से विकसित हुआ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान निर्माताओं ने सामाजिक न्याय को राज्य की मूल प्रतिबद्धता के रूप में स्वीकार किया। संविधान की प्रस्तावना में न्यायकृसामाजिक, आर्थिक और राजनीतिककृको प्रमुख आदर्श के रूप में स्थापित किया गया। अनुच्छेद 15(4) राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने का अधिकार प्रदान किया गया। अनुच्छेद 330 और 332 संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करते हैं।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 02, February 2026

इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 46 राज्य को निर्देश देता है कि वह अनुसूचित जाति और जनजाति के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को विशेष संरक्षण प्रदान करे। संविधान निर्माताओं ने प्रारंभ में राजनीतिक आरक्षण को अस्थायी प्रावधान माना था, जिसे दस वर्षों के लिए लागू किया गया। परंतु सामाजिक असमानता की निरंतरता और राजनीतिक सहमति के कारण इस अवधि को समय–समय पर संवैधानिक संशोधनों द्वारा बढ़ाया जाता रहा। इस प्रकार आरक्षण नीति धीरे–धीरे भारतीय लोकतांत्रिक संरचना का स्थायी तत्व बन गई। स्वतंत्रता के प्रारंभिक दशकों में आरक्षण मुख्यतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तक सीमित रहा। किंतु सामाजिक न्याय की व्यापक मांगों ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित किया। 1979 में गठित मंडल आयोग, जिसकी अध्यक्षता B- P- Mandal ने की, ने विस्तृत सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान की और 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की। 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री V- P- Singh द्वारा इन सिफारिशों को लागू करने की घोषणा ने भारतीय राजनीति में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किया। मंडल आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन ने सामाजिक न्याय के विमर्श को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया। इससे जाति–आधारित राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ और अनेक क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, जिन्होंने पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व को अपना प्रमुख एजेंडा बनाया। उत्तर भारत में विशेष रूप से सामाजिक न्याय की राजनीति ने पारंपरिक दलों की चुनावी रणनीतियों को चुनौती दी। इसके परिणामस्वरूप भारतीय राजनीति में गठबंधन युग की शुरुआत हुई और चुनावी समीकरणों में जातीय गणित का महत्व बढ़ गया। समय के साथ आरक्षण नीति का दायरा विस्तृत होता गया। सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 के इंद्रा साहनी मामले में 50 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की, किंतु राज्यों ने अपने–अपने सामाजिक संदर्भों में विविध व्यवस्थाएँ विकसित कीं। 2019 में 103वें संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसने आरक्षण की अवधारणा को सामाजिक–पिछड़ेपन से आगे बढ़ाकर आर्थिक मानदंड से भी जोड़ दिया। यह परिवर्तन दर्शाता है कि आरक्षण नीति समय के साथ राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार रूपांतरित होती रही है।

आरक्षण नीति और चुनावी राजनीति के बीच संबंध प्रारंभ में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तक सीमित था, परंतु धीरे–धीरे यह चुनावी रणनीति का केंद्रीय उपकरण बन गया। विभिन्न राजनीतिक दलों ने विशिष्ट जातीय और सामाजिक समूहों को संगठित कर वोट बैंक के रूप में विकसित किया। आरक्षण के विस्तार, उप–वर्गीकरण और नई श्रेणियों को शामिल करने के वादे चुनावी घोषणापत्रों का नियमित हिस्सा बन गए। इससे सामाजिक न्याय का मुद्दा लोकतांत्रिक विमर्श का महत्वपूर्ण अंग बना, किंतु साथ ही जातीय ध्रुवीकरण और प्रतिस्पर्धी राजनीति को भी बल मिला। इस प्रकार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर संवैधानिक प्रावधानों और नीति के विकास तक, आरक्षण भारतीय लोकतंत्र के सामाजिक आधार को सुदृढ़ करने का साधन रहा है। किंतु चुनावी राजनीति के साथ इसके घनिष्ठ अंतर्संबंध ने इसे केवल सुधारात्मक नीति न रहने देकर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, सत्ता–संतुलन और मतदाता लामबंदी का प्रभावी माध्यम बना दिया है। यही द्वैत स्वरूप सामाजिक न्याय और चुनावी रणनीति का संगम भारतीय राजनीति में आरक्षण नीति की केंद्रीयता को स्पष्ट करता है।

1.1 शोध की आवश्यकता (Need of the Study)– भारतीय लोकतंत्र में आरक्षण नीति केवल सामाजिक न्याय का उपकरण नहीं, बल्कि राजनीतिक संरचना और चुनावी व्यवहार को प्रभावित करने वाला केंद्रीय तत्व बन

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 02, February 2026

चुकी है। स्वतंत्रता के पश्चात इसे ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के उत्थान हेतु लागू किया गया था, किंतु समय के साथ यह चुनावी घोषणाओं, राजनीतिक गठबंधनों और मतदाता ध्रुवीकरण की रणनीतियों से गहराई से जुड़ गई। विशेषकर मंडल आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 103वें संविधान संशोधन के बाद आरक्षण पर राजनीतिक विमर्श और तीव्र हो गया है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो जाता है कि आरक्षण नीति के सामाजिक उद्देश्यों और चुनावी राजनीति के बीच के अंतर्संबंध का अकादमिक विश्लेषण किया जाए। क्या आरक्षण वास्तव में सामाजिक समानता को बढ़ावा दे रहा है, या यह केवल राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक निर्माण का माध्यम बन गया है? इस प्रकार के प्रश्नों का वैज्ञानिक अध्ययन लोकतंत्र की गुणवत्ता को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

1.2 समस्या का स्वरूप एवं व्याख्या– इस अध्ययन की मूल समस्या यह है कि आरक्षण नीति का प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक न्याय और समान अवसर की स्थापना था, परंतु व्यवहार में यह चुनावी राजनीति का प्रभावशाली साधन बन गई है। राजनीतिक दल अक्सर आरक्षण के विस्तार, नई श्रेणियों को जोड़ने या उप–वर्गीकरण की घोषणाएँ चुनावी लाभ के उद्देश्य से करते हैं।

समस्या के प्रमुख आयाम निम्नलिखित हैं–

- सामाजिक न्याय बनाम राजनीतिक लाभ की द्वंद्वात्मक स्थिति
- जातिगत पहचान की राजनीति का सुदृढ़ होना
- आरक्षण के कारण सामाजिक ध्रुवीकरण
- प्रतिनिधित्व में वृद्धि के बावजूद सामाजिक–आर्थिक असमानता का बने रहना
- आरक्षण की अस्थायी व्यवस्था का स्थायी रूप धारण कर लेना

यह समस्या केवल नीतिगत नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवहार, सामाजिक एकता और शासन–प्रणाली से भी संबंधित है।

1.3 अध्ययन का औचित्य– यह अध्ययन कई कारणों से प्रासंगिक एवं औचित्यपूर्ण है–

लोकतांत्रिक परिपक्वता की दृष्टि से– लोकतंत्र की सफलता केवल चुनाव कराने में नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशिता सुनिश्चित करने में निहित है।

सामाजिक संरचना के विश्लेषण हेतु– भारतीय समाज की जातिगत जटिलता को समझे बिना चुनावी राजनीति को समझना संभव नहीं।

नीतिगत सुधार के लिए– यदि आरक्षण का प्रयोग राजनीतिक लाभ हेतु अधिक हो रहा है, तो नीति में संतुलन और पारदर्शिता की आवश्यकता है।

समकालीन राजनीतिक विमर्श की समझ के लिए – EWS आरक्षण, महिला आरक्षण, उप–वर्गीकरण जैसे मुद्दे चुनावी राजनीति के केंद्र में हैं।

अतः यह अध्ययन सामाजिक न्याय और राजनीतिक व्यवहार के अंतर्संबंध को स्पष्ट करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

1.4 अध्ययन के उद्देश्य– इस शोध का उद्देश्य आरक्षण नीति और चुनावी राजनीति के बीच संबंध का बहुआयामी विश्लेषण करना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 02, February 2026

1. आरक्षण नीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संवैधानिक आधार का अध्ययन करना।
2. आरक्षण के सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करना।
3. चुनावी राजनीति में आरक्षण की भूमिका का परीक्षण करना।
4. मंडल आयोग और EWS आरक्षण के राजनीतिक प्रभावों का मूल्यांकन करना।
5. यह विश्लेषण करना कि क्या आरक्षण सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहा है या यह वोट बैंक राजनीति का साधन बन गया है।
6. आरक्षण नीति और लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु सुझाव देना।

1.5 शोध–प्रश्न– इस अध्ययन को निम्नलिखित प्रमुख शोध–प्रश्न निर्देशित करते हैं–

1. क्या आरक्षण नीति ने वास्तव में सामाजिक न्याय और समान अवसर की स्थापना में प्रभावी भूमिका निभाई है?
2. आरक्षण नीति और चुनावी राजनीति के बीच किस प्रकार का अंतर्संबंध विकसित हुआ है?
3. क्या आरक्षण का विस्तार राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम है या सामाजिक आवश्यकता का?
4. मंडल आयोग के क्रियान्वयन ने भारतीय चुनावी राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया?
5. क्या आरक्षण नीति जातिगत ध्रुवीकरण को बढ़ावा देती है या लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को सशक्त करती है?

भविष्य में आरक्षण नीति को किस दिशा में विकसित किया जाना चाहिए ताकि सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक संतुलन दोनों सुनिश्चित हो सकें?

1.6 अध्ययन की परिधि एवं सीमाएँ– इस शोध का विषय "आरक्षण नीति और चुनावी राजनीति" भारतीय लोकतंत्र के व्यापक सामाजिक–राजनीतिक संदर्भ में स्थित है। अतः इसकी परिधि बहुआयामी है। यह अध्ययन मुख्यतः स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से वर्तमान समय तक आरक्षण नीति के विकास और उसके चुनावी राजनीति पर प्रभाव का विश्लेषण करता है। विशेष रूप से 1990 के बाद के कालखंड, जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुईं, को अध्ययन का केंद्रीय बिंदु बनाया गया है, क्योंकि इसी काल में आरक्षण नीति और चुनावी राजनीति के बीच संबंध अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली रूप में उभरा। अध्ययन की परिधि में निम्नलिखित आयाम सम्मिलित हैं–

1. आरक्षण नीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संवैधानिक आधार।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण व्यवस्था का विश्लेषण।
3. मंडल आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के पश्चात चुनावी राजनीति में आए परिवर्तन।
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS आरक्षण और उसके राजनीतिक प्रभाव।
5. उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों (जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार) में जाति–आधारित राजनीति के संदर्भ में आरक्षण की भूमिका।
6. वोट बैंक राजनीति, जातिगत ध्रुवीकरण तथा चुनावी घोषणापत्रों में आरक्षण की भूमिका।

यह अध्ययन मुख्यतः राजनीतिक और नीतिगत विश्लेषण पर केंद्रित है; इसमें आरक्षण के आर्थिक प्रभावों का विस्तृत सांख्यिकीय विश्लेषण प्राथमिक विषय नहीं है, बल्कि उसका उल्लेख संदर्भ के रूप में किया गया है। अध्ययन की सीमाएँ भी स्पष्ट हैं–

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 02, February 2026

यह शोध मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों (पुस्तकों, शोध–पत्रों, सरकारी रिपोर्टों, चुनावी आँकड़ों) पर आधारित है; अतः प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षण का समावेश सीमित है।

भारत के सभी राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन करना संभव नहीं है; इसलिए विश्लेषण प्रतिनिधिक उदाहरणों तक सीमित है।

आरक्षण से संबंधित सामाजिक–मानसिक प्रभावों का गहन मनोवैज्ञानिक अध्ययन इस शोध की परिधि से बाहर है।

राजनीतिक दलों की आंतरिक रणनीतियों का विश्लेषण उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतों तक सीमित है।

इन सीमाओं के बावजूद यह अध्ययन आरक्षण नीति और चुनावी राजनीति के अंतर्संबंध को समझने का एक समग्र प्रयास प्रस्तुत करता है।

1.7 परिकल्पना (Hypothesis)- इस शोध के आधार पर निम्नलिखित परिकल्पनाएँ प्रस्तुत की जाती हैं–

1. आरक्षण नीति का मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय की स्थापना था, किंतु समय के साथ यह चुनावी राजनीति का प्रभावशाली उपकरण बन गई है।
2. मंडल आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के बाद भारतीय चुनावी राजनीति में जातिगत ध्रुवीकरण और वोट बैंक की प्रवृत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
3. आरक्षण नीति ने वंचित वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सशक्त किया है, परंतु इससे सामाजिक एकता की चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं।
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए आरक्षण का प्रावधान सामाजिक आवश्यकता के साथ–साथ चुनावी प्रतिस्पर्धा की रणनीति का भी परिणाम है।
5. यदि आरक्षण नीति को पारदर्शिता, समयबद्धता और समग्र सामाजिक सुधारों के साथ नहीं जोड़ा गया, तो यह दीर्घकाल में सामाजिक न्याय की अपेक्षा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का साधन अधिक बन सकती है।

इन परिकल्पनाओं की सत्यता का परीक्षण शोध के आगामी अध्यायों में सैद्धांतिक विश्लेषण, ऐतिहासिक संदर्भ और उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर किया जाएगा।

1.8 शोध पद्धति– इस अध्ययन में गुणात्मक (Qualitative) एवं विश्लेषणात्मक (Analytical) शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि "आरक्षण नीति और चुनावी राजनीति" का विषय मुख्यतः सामाजिक–राजनीतिक प्रक्रियाओं, नीतिगत विकास और लोकतांत्रिक व्यवहार से संबंधित है। शोध का आधार द्वितीयक स्रोतों पर केंद्रित है, जिनमें संविधान के प्रावधान, संसदीय बहसें, आयोगों की रिपोर्टें, सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय, चुनाव आयोग के आँकड़े, सरकारी दस्तावेज, शोध–पत्र, पुस्तकें तथा प्रतिष्ठित समाचार–पत्रों एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित विश्लेषणात्मक लेख सम्मिलित हैं।

अध्ययन में ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग आरक्षण नीति के विकासक्रम को समझने हेतु किया गया है, जिसके अंतर्गत औपनिवेशिक काल से लेकर स्वतंत्र भारत तक की घटनाओं का क्रमबद्ध विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त संवैधानिक प्रावधानों और संशोधनों का विधिक (Legal) विश्लेषण किया गया है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि आरक्षण का ढाँचा किस प्रकार समय–समय पर परिवर्तित और विस्तारित हुआ।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 02, February 2026

राजनीतिक विश्लेषण की दृष्टि से चुनावी आँकड़ों, मतदाता व्यवहार, राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों तथा प्रमुख चुनावों के परिणामों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। विशेष रूप से 1990 के बाद की अवधि, जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुईं, को एक महत्वपूर्ण अध्ययन–काल के रूप में लिया गया है। इस अवधि में जाति–आधारित राजनीति, क्षेत्रीय दलों के उदय और गठबंधन सरकारों की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन में वर्णनात्मक तथा व्याख्यात्मक पद्धतियों का भी समन्वय किया गया है। वर्णनात्मक पद्धति के माध्यम से आरक्षण नीति के विभिन्न आयामों —SC, ST, OBC तथा EWS आरक्षण का विवरण प्रस्तुत किया गया है, जबकि व्याख्यात्मक पद्धति के माध्यम से यह विश्लेषण किया गया है कि इन व्यवस्थाओं ने चुनावी राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया।

जहाँ आवश्यक हुआ है, वहाँ तुलनात्मक पद्धति का उपयोग करते हुए विभिन्न राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियों और आरक्षण संबंधी नीतिगत परिवर्तनों का विश्लेषण किया गया है, ताकि क्षेत्रीय विविधताओं को समझा जा सके। इसके अतिरिक्त न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों विशेषकर आरक्षण की सीमा और वैधता से संबंधित मामलों का संदर्भ लेकर नीति और राजनीति के अंतर्संबंध को स्पष्ट किया गया है।

इस शोध में सांख्यिकीय आँकड़ों का उपयोग सहायक सामग्री के रूप में किया गया है, किंतु इसका मुख्य उद्देश्य मात्रात्मक विश्लेषण न होकर सामाजिक–राजनीतिक व्याख्या प्रस्तुत करना है। शोध का दृष्टिकोण निष्पक्ष, तर्कसंगत और समालोचनात्मक रखा गया है, जिससे आरक्षण नीति के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्षों का संतुलित मूल्यांकन किया जा सके।

इस प्रकार, ऐतिहासिक, संवैधानिक, राजनीतिक तथा विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणों के समन्वय के माध्यम से यह शोध आरक्षण नीति और चुनावी राजनीति के अंतर्संबंध का व्यापक एवं व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत करता है।

1.9 साहित्य समीक्षा (Review of Literature)–

आरक्षण नीति और चुनावी राजनीति पर उपलब्ध साहित्य व्यापक, बहु–विषयी तथा वैचारिक रूप से विविध है। समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, संवैधानिक अध्ययन तथा लोकनीति (Public Policy) के क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने इस विषय पर गहन शोध किया है।

सामाजिक न्याय की अवधारणा को समझाने में B- R- Ambedkar के विचारों का विशेष महत्व है। उन्होंने जाति–व्यवस्था को सामाजिक असमानता का मूल कारण बताते हुए प्रतिनिधित्व–आधारित न्याय का समर्थन किया। उनके लेखन में यह स्पष्ट है कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल होगा जब सामाजिक लोकतंत्र स्थापित होगा।

राजनीति विज्ञान के विद्वानों, जैसे रजनी कोठारी, योगेन्द्र यादव और क्रिस्टोफ जाफ्रेलो, ने मंडल राजनीति और जाति–आधारित दलों के उदय का विश्लेषण किया है। इन अध्ययनों में यह तर्क दिया गया है कि 1990 के दशक के बाद भारतीय राजनीति में सामाजिक आधार का पुनर्गठन हुआ और वंचित वर्गों ने राजनीतिक सत्ता में भागीदारी बढ़ाई।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 02, February 2026

मंडल आयोग की सिफारिशों पर आधारित अध्ययन दर्शाते हैं कि 1990 में V- P- Singh द्वारा OBC आरक्षण लागू किए जाने के बाद भारतीय राजनीति में जातिगत चेतना का तीव्र विस्तार हुआ। B- P- Mandal की अध्यक्षता वाले आयोग की रिपोर्ट ने सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को मापने के लिए बहुआयामी मानदंड प्रस्तुत किए, जिन पर आगे की राजनीति निर्मित हुई।

न्यायिक दृष्टिकोण से 1992 का 'इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ' निर्णय साहित्य में अत्यंत चर्चित है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 50% सीमा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। हाल के वर्षों में 103वें संविधान संशोधन EWS आरक्षण पर भी व्यापक अकादमिक बहस हुई है।

साहित्य में दो प्रमुख दृष्टिकोण उभरते हैं–

- आरक्षण सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक समावेशन का अनिवार्य साधन है।
- आरक्षण चुनावी राजनीति में वोट बैंक निर्माण और जातिगत ध्रुवीकरण का माध्यम बन गया है।

यह अध्ययन इन दोनों दृष्टिकोणों का संतुलित विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास करता है।

1.10 डेटा विश्लेषण– इस अध्ययन में उपलब्ध द्वितीयक आँकड़ों, चुनाव परिणामों, जनगणना रिपोर्टों तथा संसदीय प्रतिनिधित्व के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित सीटों के कारण इन वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सांख्यिकीय रूप से सुनिश्चित हुआ है। उदाहरणस्वरूप, लोकसभा में SC@ST के लिए आरक्षित सीटों की संख्या संविधान के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित है, जिससे इन वर्गों की न्यूनतम राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होती है।

1990 के बाद के चुनावों में यह देखा गया कि जिन राज्यों में OBC जनसंख्या अधिक है, वहाँ सामाजिक न्याय की राजनीति पर आधारित दलों का प्रभाव बढ़ा। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में मंडल राजनीति के बाद चुनावी परिणामों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले।

EWS आरक्षण (2019) के बाद विभिन्न राज्यों के चुनावों में आर्थिक आधार पर आरक्षण का मुद्दा प्रमुख रूप से उभरा। इससे यह संकेत मिलता है कि आरक्षण का दायरा सामाजिक–पिछड़ेपन से आगे बढ़कर व्यापक मतदाता वर्ग को प्रभावित कर रहा है।

डेटा यह भी दर्शाता है कि आरक्षण के कारण प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है, किंतु सामाजिक–आर्थिक असमानताओं में पूर्ण कमी अभी भी एक चुनौती बनी हुई है।

1.11 चर्चा (Discussion)– आरक्षण नीति और चुनावी राजनीति के अंतर्संबंध पर चर्चा करते समय यह स्पष्ट होता है कि दोनों एक–दूसरे को प्रभावित करते हैं। आरक्षण ने लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाया, जिससे वंचित वर्गों को राजनीतिक मंच मिला। इससे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का दायरा विस्तृत हुआ।

किन्तु दूसरी ओर, चुनावी प्रतिस्पर्धा ने आरक्षण को राजनीतिक रणनीति का साधन बना दिया। राजनीतिक दल जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए टिकट वितरण, गठबंधन निर्माण और घोषणापत्र तैयार करते हैं। इससे सामाजिक न्याय का मुद्दा कई बार राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 02, February 2026

मंडल राजनीति के बाद भारतीय राजनीति में "पहचान की राजनीति" (Identity Politics) का विस्तार हुआ। यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के लिए सकारात्मक रही, किंतु सामाजिक ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिला।

EWS आरक्षण ने आरक्षण विमर्श को नया आयाम दिया है, जिससे यह प्रश्न उभरता है कि भविष्य में आरक्षण का आधार सामाजिक होगा, आर्थिक होगा, या दोनों का समन्वय होगा।

1.12 परिणाम (Findings)– इस अध्ययन के विश्लेषण से निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष प्राप्त होते हैं–

आरक्षण नीति ने वंचित वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सशक्त किया है और लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाया है।

मंडल आयोग के क्रियान्वयन के बाद भारतीय चुनावी राजनीति में जातिगत लामबंदी और वोट बैंक की प्रवृत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

राजनीतिक दलों द्वारा आरक्षण का उपयोग चुनावी रणनीति के रूप में किया जाता है, जिससे सामाजिक न्याय और राजनीतिक लाभ के बीच संतुलन का प्रश्न उत्पन्न होता है।

EWS आरक्षण ने आरक्षण नीति को नई दिशा दी है और यह दर्शाया है कि आरक्षण का विमर्श समयानुकूल रूप से परिवर्तित होता रहता है।

आरक्षण नीति सामाजिक न्याय के लक्ष्य की ओर महत्वपूर्ण कदम है, किंतु इसके प्रभावी क्रियान्वयन और संतुलित राजनीतिक उपयोग के लिए निरंतर समीक्षा आवश्यक है।

इन निष्कर्षों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आरक्षण नीति और चुनावी राजनीति का संबंध जटिल, बहुआयामी और गतिशील है, जो भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति को गहराई से प्रभावित करता है।

नीतिगत सुझाव (Policy Recommendations)–

आरक्षण नीति और चुनावी राजनीति के अंतर्संबंध को संतुलित, पारदर्शी और न्यायोन्मुख बनाने के लिए निम्नलिखित नीतिगत सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं–

समयबद्ध पुनरावलोकन (Periodic Review Mechanism)– आरक्षण नीति का प्रत्येक 10 वर्ष में एक स्वतंत्र आयोग द्वारा सामाजिक–आर्थिक मानकों के आधार पर पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

वैज्ञानिक डेटा आधारित निर्धारण– जातिगत एवं सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण के अद्यतन आंकड़ों के आधार पर आरक्षण की सीमा और पात्रता तय की जाए।

पारदर्शिता और जवाबदेही– आरक्षण से संबंधित सभी नीतिगत निर्णयों को सार्वजनिक विमर्श और संसदीय बहस के माध्यम से पारदर्शी बनाया जाए।

उप–वर्गीकरण– OBC वर्ग के भीतर अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए पृथक उप–कोटा सुनिश्चित किया जाए ताकि लाभ समान रूप से वितरित हो सके।

राजनीतिक दुरुपयोग पर नियंत्रण– चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया जाए कि वह चुनावी घोषणाओं में आरक्षण से संबंधित वादों की संवैधानिक वैधता की निगरानी करे।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 02, February 2026

शिक्षा और कौशल विकास पर बल– आरक्षण के साथ–साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाए, ताकि दीर्घकालिक सशक्तिकरण संभव हो।

क्रीमी लेयर की सख्त समीक्षा– OBC श्रेणी में 'क्रीमी लेयर' की सीमा को नियमित रूप से संशोधित कर वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुँचाया जाए।

आर्थिक एवं सामाजिक मानदंड का संतुलन – EWS आरक्षण के संदर्भ में सामाजिक और आर्थिक दोनों मानकों का संतुलित उपयोग किया जाए।

राज्यों के लिए लचीला ढाँचा– राज्यों को स्थानीय सामाजिक संरचना के अनुसार आरक्षण नीति में सीमित लचीलापन प्रदान किया जाए।

सामाजिक समरसता कार्यक्रम– आरक्षण के कारण उत्पन्न संभावित सामाजिक तनाव को कम करने हेतु जागरूकता और संवाद कार्यक्रम चलाए जाएँ।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व का गुणात्मक मूल्यांकन– केवल सीटों की संख्या नहीं, बल्कि प्रतिनिधियों के प्रभावी योगदान का भी आकलन किया जाए।

न्यायिक मार्गदर्शन का सम्मान – सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत सीमा और अन्य संवैधानिक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

दीर्घकालिक सामाजिक सुधार नीति– आरक्षण को स्थायी समाधान न मानकर, भूमि सुधार, शिक्षा विस्तार और आर्थिक अवसरों के सृजन जैसी व्यापक सामाजिक नीतियों से जोड़ा जाए।

निष्कर्ष – आरक्षण नीति भारतीय लोकतंत्र की सामाजिक न्याय संबंधी प्रतिबद्धता का महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसका मूल उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर प्रदान करना था। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान में इसके प्रावधानों ने लोकतंत्र को अधिक समावेशी और प्रतिनिधिक बनाया। मंडल आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन और हाल के वर्षों में EWS आरक्षण के लागू होने से यह स्पष्ट हुआ है कि आरक्षण नीति निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है। इसने भारतीय राजनीति के सामाजिक आधार को पुनर्गठित किया और वंचित वर्गों को सत्ता–संरचना में भागीदारी का अवसर दिया। किन्तु इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि चुनावी राजनीति में आरक्षण का प्रयोग कई बार वोट बैंक निर्माण और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के उपकरण के रूप में किया जाता है। इससे सामाजिक न्याय और राजनीतिक लाभ के बीच संतुलन का प्रश्न उत्पन्न होता है। अतः यह आवश्यक है कि आरक्षण नीति को संवैधानिक मूल्यों, पारदर्शिता और वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर संचालित किया जाए। सामाजिक समावेशन और लोकतांत्रिक संतुलन के बीच सामंजस्य स्थापित कर ही आरक्षण नीति को अपने मूल उद्देश्य समानता और न्याय की दिशा में प्रभावी बनाया जा सकता है। इस प्रकार, आरक्षण नीति और चुनावी राजनीति का संबंध जटिल, गतिशील और बहुआयामी है, जो भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति और दिशा दोनों को प्रभावित करता है।

संदर्भ सूची–

1- Ambedkar, B. R. (1945). *What Congress and Gandhi Have Done to the Untouchables*. Bombay: Thacker & Co.

2- Austin, G. (1999). *Working a Democratic Constitution: The Indian Experience*. New Delhi: Oxford University Press.
3- Chandra, K. (2004). *Why Ethnic Parties Succeed: Patronage and Ethnic Head Counts in India*. Cambridge University Press.
4- Galanter, M. (1984). *Competing Equalities: Law and the Backward Classes in India*. Oxford University Press.
5- Government of India. (1950). *The Constitution of India*. New Delhi: Ministry of Law and Justice.
6- Government of India. (1980). *Report of the Backward Classes Commission (Mandal Commission)*. New Delhi.
7- Jaffrelot, C. (2003). *India's Silent Revolution: The Rise of the Lower Castes in North India*. Columbia University Press.
8- Jenkins, L. (2003). Identity and Identification in India: Defining the Disadvantaged. *Routledge*.
9- Kothari, R. (1970). *Politics in India*. Orient Longman.
10- Pai, S. (2002). *Dalit Assertion and the Unfinished Democratic Revolution*. Sage Publications.
11- Yadav, Y. (1999). Electoral Politics in the Time of Change. *Economic and Political Weekly*, 34(34–35), 2393–2399.
12- Supreme Court of India. (1992). *Indra Sawhney v. Union of India*. AIR 1993 SC 477.
13- Constitution (103rd Amendment) Act, 2019. Government of India.
14- Deshpande, A. (2011). *The Grammar of Caste: Economic Discrimination in Contemporary India*. Oxford University Press.
15- Sharma, K. L. (2012). *Caste and Politics in India*. Rawat Publications.